राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांकः 515 /241/एनयूएलएम/तीन/2001(एसईपी)टीसी दिनांकः 12-7-16

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट आफीसर,
जिला नगरीय विकास अभिकरण/
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
उत्तर प्रदेश।

विषय– दीनदयाल अन्तोदय योजना (डी0ए0वाई) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम(एस0ई0पी0) के अन्तर्गत बैंकों के साथ बैठक एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

दीनदयाल अन्तोदय योजना (डी0ए0वाई0) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम(एस0ई0पी0) के अन्तर्गत शहरी गरीबों को बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत /समूह ऋण एवं एसएचजी बैंक लिंकेज उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

बैंकों से बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं एस0ई0पी0 के दिशा–निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु समय–समय पर बैंकों के प्रतिनिधियों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक (एल0डी0एम0) के साथ एस0ई0पी0 पर प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा किया जाना आवश्यक है।

पत्र के साथ एक माडल प्रस्तुतीकरण संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है जिसकी साफ्ट कापी सूडा की बेवसाइड से डाउनलोड की जा सकती है। इस प्रस्तुतीकरण में स्थानीय स्तर पर कार्य के समन्वय कराने में आ रही समस्याओं इत्यादि को जोड़ा जाना उचित होगा।

भवदीय

संलग्नक– यथोक्त।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2 समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त, शहर मिशन प्रबन्धक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उत्तर प्रदेश।
4 सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

Deendayal Antyodaya Yojana (DAY)-National Urban Livelihoods Mission

State Urban Livelihood Mission-SUDA, UP

स्व रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.)

Po

Self Employment is an instrument to change the condition

शहरी गरीब की आवश्यकता.....

ऋण के रूप में..... वित्तीय सहयोग.

लघु उद्यम के स्थायत्वि हेतु..... प्रशिक्षण, मार्केटिंग सुविधांए एवं परामर्श सेवाएं

लघु उद्यम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु..... सहयोग सेवाएं

'**SEP** व्यक्तिगत एवं समूह में ब्याज सब्सिडी आधारित स्व रोजगार या लघु उद्यम स्थापना में सहायता उपलब्ध कराता है।'

SEP का जोर 3 क्षेत्रों हेतु.....

1– उत्पादन (लघु उद्यम) 2– व्यापार एवं 3– सेवाएं

स्व–रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.)

1. उपघटक : व्यक्तिगत उद्यम हेतु (ऋण एवं सब्सिडी)
2. उपघटक : समूह उद्यम हेतु (ऋण एवं सब्सिडी)
3. उपघटक : एस.एच.जी. ऋण पर ब्याज सब्सिडी (बैंक लिंकेज/सम्पर्क)
4. उपघटक : उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड
5. उपघटक : प्रौद्योगिकी विपणन एवं अन्य सहयोग

व्यक्तिगत और समूह उद्यम हेतु (ऋण एवं सब्सिडी)

उद्देश्य

- शहरी गरीबों हेतु व्यक्तिगत/समूह में लघु उद्यमों स्थापना हेतु वित्तीय सहायता,
- ऐसे अल्प कामगारों और बेरोजगार गरीबों जिनका संबंध स्थानीय मांगानुरूप उत्पादनों, सेवाओं और छोटे व्यवसायों से हो को लघु उद्यम लगाने हेतु प्रोत्साहित करना,
- प्रत्येक शहर/कस्बा अपनी गतिविधियों/योजनाओं को ध्यान में रखते हुये उपलब्ध कौशलों, उत्पादों की विक्रयता, लागत, आर्थिक व्यवहार्यता आदि से सम्बंधित सूचनाओं का विस्तृत विवरण तैयार करना,
- शहरी गरीबों/उनके समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय दशाओं के अनुकूल स्व–रोजगार / लघु उद्यमों की स्थापना करना।

- आरक्षण
  - महिलाएं 30%
  - विकलांग 3%
  - अनुसूचित जाति/जनजाति स्थानीय बी.पी.एल. आबादी के अनुपात में
  - प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को 15%
- पात्रता
  - शहरी गरीब परिवार
- शैक्षिक योग्यता
  - काई सीमा नही

- आयु
  - बैक ऋण आवेदन के समय 18 वर्ष (व्यक्तिगत/समूह)

- परियोजना लागत
  - व्यक्तिगत उद्यम परियोजना अधिकतम 2 लाख रू. तक
  - समूह उद्यम परियोजना अधिकतम 10 लाख रू. तक

- ब्याज पर सब्सिडी (छूट)
  - व्यक्तिगत अथवा समूह उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज पर अनुदान

- **ब्याजदर**
  - भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार लागू

- **ऋण जमानत**
  - ऋण पर कोई जमानत नहीं

- **ऋण वापसी**
  - 6 से 18 माह की प्रारंभिक विलंबन अवधि के साथ 5 से 7 वर्ष में

- **ब्याज सब्सिडी जारी करना**
  - बैंक को 3 माह की ब्याज सब्सिडी एक साथ जारी करना

Margin Money:

- No Margin money should be taken for loans up to Rs. 50000 and for loans ranging from Rs. 50,000-10 lakhs, preferably 5% should be taken as margin money and it should in no case be more than 10% of the project cost.

Type of Loan Facility:

- Bank may extent finance to individuals/group for capital expenditure in the form of Term Loan and Working Capital loans through Cash Credit. Banks may also extent Composite Loans consisting of Capital Expenditure and Working Capital components, depending upon individual’s/group's requirement.

लघु उद्योगों की प्रकृति

- उत्पादन (लघु उद्योग)

- कारोबार और

- सेवा

समूह उद्यम हेतु सदस्य

- न्यूनतम 5 गरीब महिलाएं/पुरूष या महिलाएं एवं पुरूष
- न्यूनतम 70% सदस्य शहरी गरीब परिवार से
- सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति समान हो तथा उनमें समरूपता हो
- एक समय में एक परिवार से एक व्यक्ति समूह में
- सभी सदस्य आस–पास रहने वाले होगें तो समूह की गतिविधियों में सरलता होगी
- समूह में गतिविधियों का निर्धारण
- समूह के सदस्यों आपसी सामंजस्य हो.....

समूह में उद्यम/व्यवसाय चयन

- समूह द्वारा उद्यम का चयन करते समय कच्चे माल की उपलब्धता, बैंकों की सुविधा, उत्पादन की बाजार में मांग आदि का ध्यान रखना चाहिए
- चयनित उद्यम प्रचलित एवं पराम्परागत आर्थिक क्रिया कलापों पर ही आधारित होना चाहिए

खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग/व्यवसाय

- दूध से निर्मित उत्पादों की इकाई
- चिप्स की निर्माण की इकाई
- केंडी/टूटी फ्रूटी निर्माण की इकाई
- फास्ट फूड रेस्टोरेंट
- कन्फेक्शनरी निर्माण की इकाई
- छोटी बेकरी की इकाई

कपड़ा व तैयार वस्त्र से संबंधित उद्योग/व्यवसाय

- एपलिक वर्क, चिकन, इम्ब्राइडरी, जरी कार्य
- सूती मोजे निर्माण की इकाई
- सेनेटरी नैपकिन बनाने की इकाई
- पिलो कवर निर्माण की इकाई
- सिलाई, बुनाई तथा कढ़ाई
- रेडीमेड गार्मेन्ट निर्माण इकाई

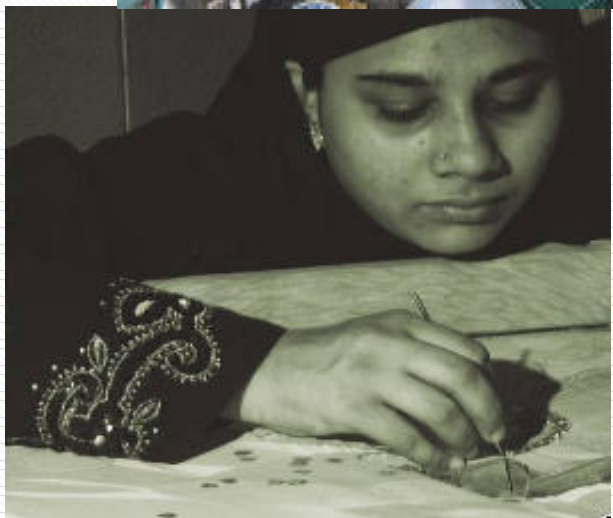

कागज तथा मुद्रण से संबंधित उद्योग/व्यवसाय

- स्टेशनरी शॉप
- कागज के लिफाफे व थैलियाँ बनाना
- जूते के फीते, फाइल टैग बनाना
- चाक निर्माण
- फाइल बैग निर्माण
- बुक बाईंडिंग इकाई
- गत्ते के डिब्बे बनाने की इकाई
- सजावट का समान बनाने की इकाई

सौंदर्य प्रसाधन सामग्री संबंधित उद्योग/व्यवसाय

- चाँदी के आभूषण पर सोने की प्लेटिंग
- नेल पॉलिश, कुमकुम निर्माण की इकाई
- ब्यूटी पार्लर इकाई
- प्लास्टिक चूड़ियों के निर्माण की इकाई
- कृत्रिम आभूषण बनाने की इकाई

विविध उद्यमों पर आधारित परियोजनाएं

- इमरजेंसी लाइट/रीचार्जेबल टार्च एसेम्बलिंग इकाई
- स्टोन, मिट्टी, टैरीकोटा के आकर्षक उत्पाद निर्माण
- लकड़ी तथा हस्तशिल्प कार्य
- क्लीनिंग पावडर निर्माण की इकाई
- रबड़ के गुब्बारे/दस्ताने बनाने की इकाई
- एल्युमीनियम के हैंगर बनाने की इकाई
- फिनायल बनाने की इकाई
- लकड़ी के फोटो फ्रेम बनाने की इकाई
- छतरी निर्माण की इकाई
- फूलों के पौध विक्रय की इकाई
- लैंस ग्राइडिंग की इकाई
- दोना पत्तल निर्माण
- प्लास्टिक के कप–प्लेट निर्माण
- कृषि औजार निर्माण की इकाई
- झाड़ू निर्माण की इकाई
- डोर मैट बनाने की इकाई

प्रशिक्षण आधारित ऋण

- जिस कार्य हेतु ऋण हो लाभार्थी के पास उस कार्य में प्रशिक्षण होना चाहिए।

- EST&P प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थी को प्रदान किये गये प्रशिक्षण प्रतिभाग प्रमाणपत्र का उपयोग।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम

- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व EDP अनिवार्य
- EDP के अन्तर्गत उद्यमिता विकास के बुनियादी सिद्धांत, उद्यम का प्रबंधन, बुनियादी लेखा प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विधायी प्रक्रिया, लागात एवं राजस्व/आय इत्यादि
- व्यक्गित एवं समुह में ऋण लेने वाले लाभार्थियों हेतु 3 से 7 दिन का उद्यमिता विकास कार्यक्रम।
- RSETI द्वारा 3 दिन का उद्यमिता विकास कार्य{म किया जाना प्रस्तावित।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रदान किये गये प्रतिभाग प्रमाणपत्र का उपयोग।

टास्क फोर्स

- शहर स्तर पर टास्क फोर्स का गठन।
- टास्क फोर्स की संख्या शहर के आकार एवं जनसंख्या के आधार पर एक से अधिक हो सकती है।
- टास्क फोर्स द्वारा बैंक के अनुरूप उपयुक्त प्रस्तावों का बैंक को प्रेषण

क्र0 सं0	पदनाम	सदस्यता
1	परियोजना निदेशक, डूडा/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर (सी0पी0ओ0)	अध्यक्ष
2	लीड जिला प्रबंधक (एल0डी0एम0)	सदस्य
3	महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र (डी0आई0सी0)	सदस्य
4	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	सदस्य
5	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य संयोजक
6	शहर मिशन प्रबंधक (Financial Inclusion & Micro Enterprises प्रबंधक जहाँ पर Financial Inclusion & Micro Enterprises प्रबंधक नही है वहाँ पर सामाजिक विकास अवस्थापना प्रबंधक सदस्य होगें।)	सदस्य
7	वरिष्ठ बैंक प्रबंधक (अधिकतम–2)	सदस्य
8	प्रतिनिधि एरिया लेवल फेडरेशन/सिटी लेवल फेडरेशन (अधिकतम–2)	सदस्य

व्यवसाय चयन हेतु सम्भावित आंकलन सारणी

व्यवसाय का नाम	अभिरूचि (10अंक)	अनुभव (10अंक)	कौशल/ प्रशिक्षण (10अंक)	कच्चे माल की उपलब्धता (20अंक)	उत्पादों की मांग (20अंक)	वित्तीय/ ऋण संसाधन (30अंक)	कुल अंक

एस.एच.जी. ऋण पर ब्याज सब्सिडी (बैंक लिंकेज)

- जो एस.एच.जी. बैंकों से ऋण लेंगे 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज वाले ऋणों पर सब्सिडी

- ये ऋण एस.एच.जी. की कुल बचत के 1:1 से 1:4 के अनुपात में हो सकता है

- 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी उन सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जायेगी जो अपने ऋण की अदायगी समय से करेंगे।

उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड

- इस घटक के तहत ये प्रयत्न किये जायेंगे कि प्रत्येक लाभार्थी को कार्यशील पूंजी एवं अन्य प्रयोजनों हेतु क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो।

- इसके लिये जरनल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रयोग।

प्रौद्योगिकी विपणन एवं अन्य सहयोग

- उघु उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थियों को उत्पादन, पैकेजिंग ब्राडिंग / छवि निर्माण, मार्केटिंग आदि से सम्बंधित प्रौद्योगिकी तथा विपणन परामर्श एवं अन्य सहयोग।
- गरीब पथ विक्रेताओं के लिये, जहाँ एक तरफ नगर निकाय के मैदानों या सड़कों के किनारे कियोस्क, रेहड़ी बाजारों, साप्ताहिक बाजारों/मेला बाजारों, संध्या बाजारों हेतु विक्रय स्थल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।
- बाजार की आवश्यकता, सर्वेक्षण, लागत, संयुक्त ब्राडिंग, विज्ञापन एवं विपणन आदि से संबंधित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- उक्त कार्यो/सेवाओं हेतु शहर जीविका केन्द्र (सी.एल.सी.) का प्रयोग निर्धारित मानको के अनुसार किया जायेगा।

घटक हेतु जारी महत्वपूर्ण निर्देश

क्र	विवरण	पत्रांक
1	**SEP** के अन्तर्गत ऋण हेतु आवेदन पत्रों का वितरण प्रारम्भ करने हेतु	पत्रांक–422 / 241 / NULM / तीन / 2001(SEP), दिनांक 22.05.2014
2	**SJSRY** का **NULM (SEP)** में परिवर्तन	RBI/2014-15/177 RPCD.CO.GSSD.BC. No.26 /09.16.03/2014-15, 14.08.2014
3	**SEP** के अन्तर्गत शहर स्तरीय टास्क फोर्स का गठन	पत्रांक–567 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP), दिनांक 05.06.2014
4	**SEP** के अंतर्गत गठित टास्क फोर्स में संशोधन हेतु	पत्रांक–2052 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP), दिनांक 13.08.2015
5	**SEP** के अंतर्गत ऋण सब्सिडी हेतु **RBI** द्वारा जारी पत्र	पत्रांक–2131 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP), दिनांक 16.09.2014
6	**SEP** के अंतर्गत लाभार्थियों के **EDP** हेतु निर्देश	पत्रांक–4210 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP), दिनांक 30.01.2015
7	**SEP** के अंतर्गत लाभार्थियों के **EDP** हेतु फिरोजाबाद जनपद हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप	पत्रांक–5544 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP), दिनांक 30.03.2015
8	**ESP** के अंतर्गत लाभार्थियों के **EDP** हेतु पुनः निर्देश	पत्रांक–274 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP), दिनांक 28.04.2015
9	**SEP-G** के अंतर्गत लाभार्थियों हेतु निर्देश	पत्रांक–064 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP), दिनांक 11.01.2016
10	**SEP** घटक की **SLBC, DLBC** में नियमित एजेण्डा एवं प्रगति की अनुश्रवण	पत्रांक–238 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP)TC, दिनांक 14.03.2016
11	**SEP** को मुद्रा लोन से अभिसरण	पत्रांक–386 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP)TC, दिनांक 26.05.2016

SEP प्रगति एवं नवीन लक्ष्य

Component	2015-16			2015-16
	Target	Achievement	Pendency in Bank	Target
SEP - I	21053	7763	16988	12500
SEP - G	800	101	405	505

स्व रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) के क्रियान्वयन हेतु रणनीति

- बैंकवार लक्ष्यों का आंवटन,
- स्लमों में बैठक, रोजगार/जागरूकता मेला, **CLC** के माध्यम से लाभार्थियो का चयन,
- ऋण पखवारे के आयोजन द्वारा लाभार्थियो में जागरूकता एवं चयन,
- पूर्व में बैंकों में लम्बित आवेदन पत्रों को स्वीकृत कराना,
- जून माह के अन्त तक लक्ष्य के सापेक्ष दुगना लाभार्थियों का चयन कर आवेदन पत्रों का बैंक को प्रेषण,
- **SHG** को **SEP-G** में ले जाना (**SHG** बैंक लिंकजेस एवं **SEP-G** में पुनरावृत्ति से बचना),
- **Need based loaning** पर जोर,
- विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का विवरण **(MoMS&ME)** **www.dcmsme.gov.in/schemes/ProjectReport-html.** **www.mudra.org.in help@mudra.org.in,**
- **CMMU/DUDA** के पास ऐसे प्रोजेकटों का विवरण होना चाहिए
- क्लस्टर एप्रोच के आधार पर स्थानीय मांग, बाजार एवं विशेषता के आधार पर स्वरोजगार/लघु उद्यम पर जोर/चयन,

स्व रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) के क्रियान्वयन हेतु रणनीति

- ✓ आवेदन पत्रों को कई स्तर पर चेक करना,
- ✓ टास्क फोर्स के माध्यम से आवेदन पत्रों का प्रेषण,
- ✓ टास्क फोर्स की नियमित बैठक, माह में कई बार अथवा अवश्यकतानुसार एवं टास्क फोर्स की बैठक का कार्यवृत्त जारी करना,
- ✓ घटक हेतु निधार्रित आरक्षण का पालन नही होना,
- ✓ EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों का सेवायोजन हेतु SEP के तहत ऋण पर जोर,
- ✓ DLBC बैठक में SEP की प्रगति एक नियमित एजेण्डा एवं प्रगति की निरन्तर अनुश्रवण हेतु RBI के निर्देश,
- ✓ बैंकों के साथ Communication बढाना,
- ✓ बैंकों द्वारा लाभार्थी से पूर्ण ब्याज लिया जाना,
- ✓ लाभार्थियों की ट्रकिंग करना, Data base तैयार करना एवं उसको update रखना,
- ✓ नियमित अनुश्रवण एवं नियतिम भुगतान ताकि NPA नही हो
- ✓ Conversion to MUDRA Loan (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.)

स्व रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) हेतु पंच सूत्र

- आवश्यकतानुसार ऋण
- बैंक के अनुरूप उपयुक्त प्रस्ताव का विकास
- टास्क फोर्स के माध्यम से आवेदन पत्रों का प्रेषण
- नियमित अनुश्रवण एवं
- नियतिम भुगतान

"ज्ञान की सदी आ चुकी हैं हमें उसके लिए हर प्रकार से तैयार होना होगा और ज्ञान ही सुशासन का आधार बनेगा"

अब्दुल कलाम
पूर्व महामहिम राष्ट्रपति

आपके समय और ध्यान के लिए

धन्यवाद